रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 596] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 2016/भाद्र 7, 1938
No. 596] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 2016/BHADRA 7, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 830(अ).—केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारुप जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावति होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप नियमों पर उस तारीख से, जिसको राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं; तीस दिन के समाप्त होने के पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो उक्त प्रारुप नियमों की बाबत पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पहले किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों संयुक्त सचिव, (परिवहन), (ई-मेल: js.tpt@gov.in) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली – 110001 को भेजे जा सकेंगे;

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटरयान नियम (.......संशोधन) नियम 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 96 में उपनियम (4क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4ख) प्रर्वग एम 1 और एम 2 के मोटर यानों में, नए माडलों की दशा में 1 अक्तूबर, 2017 को या उसके पश्चात् और सभी माडलों की दशा में 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् एंटी लॉक ब्रेकिंग प्रणाली लगानी होगी । एंटी लॉक ब्रेकिंग प्रणाली समय-समय पर यथासंशोधित आईएस:15986:2015 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप होगी।"

[फा. सं. आरटी-11028/09/2016-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र में सा.का.नि.संख्यांक 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. (अ) तारीख द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2016

G.S.R. 830(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 109 and 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the Public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid shall be considered by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), (E-mail: js.tpt@gov.in) Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi 110 001.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (……….. Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 96, after sub-rule (4A), the following sub-rule shall be inserted, namely:–

"(4B). The motor vehicles of category M1 and M2 shall be fitted with Anti-lock braking systems on and after 1st October 2017, in the case of new models and 1st April 2018, in the case of all models. The Anti-lock braking systems shall be as per the requirements specified in IS: 15986:2015, as amended from time to time."

[F. No. RT-11028/09/2016-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 590(E) dated the 2nd June, 1989 and last amended vide number G.S.R. __________(E) dated the ________________

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKH NATH YADAV
Digitally signed by GORAKH NATH YADAV
Date: 2016.09.03 16:23:09 +05'30'